HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15620/2024

Kamalkant S/o Shree Rajendra Prasad Tiwari, Aged About 28 Years, R/o House No. 14/151, Muktaprasad Nagar, Police Station Muktaprasad Nagar, District Bikaner. (At Present In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16380/2024

Ramlal S/o Tulchharam, Aged About 29 Years, R/o Khajlana, Police Station Kuchera, District Nagaur, Presently Clerk Grade-Ii, J.m. Court, Bhilwara. (At Present Confined In Central Jail Jaipur, District Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16381/2024

Lilipal Inaniya S/o Shri Kailash Ram, Aged About 25 Years, R/o Village Khen, Police Station Mundva, District Nagaur (Rajasthan). (At Present Confined In Central Jail Jaipur, District Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Kumar Saini Mr. Yunus Khan Mr. Shafiqur Rahman
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

20/12/2024

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्–पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– स्पेशल पुलिस स्टेशन (एसओजी), जिला– एटीएस एवं एसओजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 66/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3, 4, 6, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामलाल, कमलकांत, लिलिपाल इनानिया के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में नहीं बैठे हैं। अभ्यर्थी के रूप में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की सिम का उपयोग दीपक एवं ओमप्रकाश नामक सहअभियुक्तगण द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि अन्य व्यक्ति उनकी सिम का उपयोग नकल करने के अंदर करेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामलाल, कमलकांत, लिलिपाल इनानिया क्रमशः दिनांक 19.10.2024, 18.10.2024 एवं 25.10.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे है। प्रकरण में मुख्य आरोपी भावना की जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रकरण उनसे बेहतर स्थिति का है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत याचिकाओं का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामलाल, कमलकांत, लिलिपाल इनानिया द्वारा अपनी सिम परीक्षा में नकल करने के लिए अन्य सहअभियुक्तगण दीपक, भावना एवं ओमप्रकाश को उपलब्ध कराई है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामलाल, कमलकांत, लिलिपाल इनानिया परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में परीक्षार्थी नहीं रहे हैं। उनकी सिम का

उपयोग सहअभियुक्तगण दीपक एवं ओमप्रकाश द्वारा करना बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह भी आरोप नहीं है कि उन्होंने प्रत्यशतः अपने सिम का स्वयं न उपयोग करके ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों को नकल कराई है। प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि, विचारण में लगने वाले समय इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. कमलकांत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी 2. रामलाल पुत्र तुलछाराम 2. 3. लिलिपाल इनानिया पुत्र कैलाश राम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पृथक–पृथक पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

NITIN/RAMESHWAR/39-41